परिशिष्ट–3

जैतून की खेती हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का फोटो

नोडल आफिसर

हाईं–टैक एग्रो–होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेंशन सेंटर

बस्सी, जयपुर

विषय :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत जैतून की खेती हेतु अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोद्वय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत जैतून की खेती हेतु अनुदानित/सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1. कृषक/संस्था/आवेदक का नामः..
2. पिता का नामः ....
3. कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):..
4. संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):...
5. पूर्ण पताः ग्राम...ग्राम पंचायत..
   तहसील..जिला..
6. दूरभाष नम्बर...
7. मोबाईल नम्बर...
8. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि (हैक्टर):...
9. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी हैः...
10. कार्यक्रम/गतिविधि का क्षेत्रफल :...
11. सिंचाई का साधनः ....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावरः...............................
12. मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोटः (संलग्न करे) :..

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नही की है ।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

शपथ पत्र
(सादे कागज पर)

मै.. पिता/पति का नाम .... वर्ग सामान्य (महिला/पुरूष)/ अन्य पिछडा वर्ग (महिला/पुरूष)/ अनुसूचित जाति (महिला/पुरूष)/ अनुसूचित जनजाति (महिला/पुरूष) / पंजीकृत / अपंजीकृत (संस्था का प्रकार) निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला .... राजस्थान यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा .... हेक्टेयर भूमि में जैतून का उद्यान स्थापित किया जा रहा है। मुझे यह विदित है कि राज्य में जैतून की खेती एक नयी उद्यानिकी फसल है। मैं स्वेच्छा से इसकी खेती करना चाहता है। अतः इस कम में निम्नानुसार सशपथ बयान करता हूँ –

1. यह है कि जैतून एक लम्बी अवधि की फसल है तथा राजस्थान में संचालित किये जा रहे 7 फार्मो में से निकटतम फार्म पर भ्रमण कर मेरे द्वारा जाकर इसकी खेती, जोखिम, आवश्यक जलवायु कारको, फलो एवं तेल का उत्पादन आदि के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर ली गयी है।
2. यह है कि मेरे द्वारा जैतून के उद्यान स्थापित करने से पूर्व इसके बारे में इसके उत्पादन, जलवायु कारको, खेती का प्रभाव, संभावित कीट–व्याधि आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी सेवा प्रदाता संस्था मैसर्स हरियाली एग्रोटैक प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर/ मैसर्स यूडीटैक कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, पंचकूला, हरियाणा / मैसर्स फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, पूणे से प्राप्त कर ली गयी है तथा इस जानकारी की पुष्टी अन्य विशेषज्ञो से कर ली गयी है।
3. यह है कि उपलब्ध करवायी गयी एवं मेरे स्वंय के द्वारा अर्जित जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही मैं उक्त वर्णित विवरणानुसार जैतून की खेती का निर्णय करता हूँ।
4. यह है कि मै जैतून की खेती के संभावित जोखिमो से उत्पादन में कमी होने पर मेरे मेरे द्वारा लिये गये निर्णय का मै स्वंय उत्तरदायी हूँगा एंव किसी भी प्रकार की हानि होने पर किसी भी संस्था के विरूद्व किसी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करूँगा।
5. यह है कि मेरे द्वारा जैतून की खेती के लिये आवेदन करते समय आवश्यक ड्रिप संयत्र की स्थापना कर ली गयी है अथवा मेरा अंतिम चयन होने पर इसकी स्थापना की कार्यवाही कर ली जायेगी तथा पौधे प्राप्त करने से पूर्व इसकी स्थापना आवश्यक रूप से कर ली जावेगी।
6. यह है कि मेरे द्वारा जैतून की आधुनिक खेती के लिये कृषि एवं उद्यान विभाग एवं सेवा प्रदाता संस्था के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जानकारी का उपयोग मेरे खेत पर किया जाकर आधुनिक तरीको से जैतून की खेती की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मै... पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला .... राजस्थान यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी जानकारी पूर्णतया सत्य, होशो हवास एवं बिना किसी दवाब में दी गयी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता